

अल्पकालिक निविदा
उ०प्र० पुलिस विभाग, जनपद चन्दौली

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में दिनांक 07.03.2022 को सम्पन्न होने वाले चुनाव के लिए चुनाव ड्रिपूटी में लगे केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल/होमगार्ड्स आदि के व्यवस्थापन, चुनाव ड्रिपूटी में लगे पुलिस बल की चुनाव पूर्व ब्रीफिंग एवं अन्तराज्यीय/अन्तर जनपदीय सीमा सील करने के लिए बैरियर लगाये जाने आदि अन्य प्रयोजनों हेतु विशेष आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सामग्री किराये पर आपूर्ति किये जाने हेतु कतिपय शर्तों जिनका विवरण नीचे अंकित है, के अधीन (विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग-अलग) अल्पकालिक निविदा दिनांक 22-02-2022 को अपरान्ह 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

4000 केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल/होमगार्ड्स आदि के ब्रीफिंग हेतु किराये पर लिए जाने हेतु सामग्री			
क्र०सं०	किराये पर लिए जाने वाली सामग्री का नाम	संख्या	अवधि
1	पण्डाल (225X255 फीट)	01 सेट	24 घण्टा
2	लीन और कनाट	875 अदद	24 घण्टा
3	दरी	2812 अदद	24 घण्टा
4	कुर्सी सादी	9500 अदद	24 घण्टा
5	कुर्सी फर्न्सी/वीआईपी	125 अदद	24 घण्टा
6	मेज	20 अदद	24 घण्टा
7	बाल्टी	20 अदद	24 घण्टा
8	जग	20 अदद	24 घण्टा
9	मेजपोस	20 अदद	24 घण्टा
10	हार्न	20 अदद	24 घण्टा
11	माईक	10 अदद	24 घण्टा
12	माईक लाईन	200X5 मीटर	24 घण्टा
13	विद्युत लाईन	200X5 मीटर	24 घण्टा
14	बैरीकेटिंग ड्रिपूटी कार्ड वितरण	2000 वर्गमीटर	24 घण्टा
15	जनरेटर 40/60 केवीए मय डीजल/आपरेटर	01 अदद	24 घण्टा
86 स्थानों पर ठहरने वाले केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल/नागरिक पुलिस बल की मूलभूत सुविधा हेतु सामानों को किराये पर लिए जाने वाले सामग्री का विवरण			
1	अस्थायी बाथरूम	शहरी-131 ग्रामीण-889	अस्थायी निर्माण हेतु अस्थायी निर्माण हेतु
2	नहाने हेतु बाल्टी प्लास्टिक 10 प्रतिस्कूल	860	96 घण्टा
3	जग नहाने हेतु 10 प्रतिस्कूल	860	96 घण्टा
4	शीशालय हेतु छोटी बाल्टी 10 प्रतिस्कूल	860	96 घण्टा
5	पानी टंकी 500लीटर मय टॉपी	86	96 घण्टा
6	हाइलोजन मय संसाधन प्रतिस्कूल 02 अदद	172	96 घण्टा
7	एलईडी/सीएफएल मय होल्डर तार प्रतिस्कूल 10 अदद	860	96 घण्टा
8	दरी प्रति स्कूल 05 अदद	430	96 घण्टा
9	जनरेटर 7.5 केवीए मय डीजल	44	96 घण्टा
10	जनरेटर आपरेटर	86	96 घण्टा
11	22 जनरेटर हेतु प्रति जनरेटर 25 लीटर	550 लीटर	96 घण्टा
12	सफाई कर्मी (मजदूर)	86	96 घण्टा
13	विजली मिस्त्री	86	96 घण्टा
14	सैण्ड बैग	1000	96 घण्टा
15	मल्टी प्लग चार्जिंग बोर्ड 05 प्रति स्कूल	430	96 घण्टा
16	चारपाई 05 अदद प्रति स्थान	430	96 घण्टा
17	बिछाने हेतु गद्दा	430	96 घण्टा
18	रबड़ पाईप 01 इंच 100 मीटर प्रतिस्कूल	8600	96 घण्टा

15/1

उपयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु अलग-अलग निविदा फार्म भरा जायेगा तथा सभी प्रयोजनों की निविदा मुहर बन्द लिफाफे में अलग-अलग डाली जायेगी। यह निविदा दिनांक 22-02-2022 को अपरान्ह 14.00 बजे अधिकृत प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा की शर्तें:-

- 1- निविदा दाता फर्म का नियमानुसार व्यापार कर/जी0एस0टी0/पैन में पंजीकरण होना अनिवार्य है, निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। किसी अन्य संस्थान से ब्लैकलिस्ट की गयी फर्म निविदा डाले हेतु अर्ह नहीं होगी।
- 2- निविदा फार्म का मूल्य रू0-500.00 है, जो निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय अवधि तक पुलिस कार्यालय, चन्दौली से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को उक्त धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 3- प्रत्येक निविदादाता को 02 अलग-अलग लिफाफा में मुहरबन्द करके एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में डालना होगा, जिसमें पहला लिफाफा टैक्निकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाइनेन्सियल बिड का होगा। दोनों लिफाफे पर बिड का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
- 4- इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से टेण्डर डाले जोन की तिथि से एक दिवस पूर्व तक किसी भी दिन कार्य दिवस में प्रधान लिपिक शाखा में पुलिस कार्यालय शाखा, चन्दौली में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष 22-02-2022 को समय 10.00 बजे अपरान्ह 14.00 बजे तक रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा। तथा उसी दिन अपरान्ह 15.00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

(क) टैक्निकल बिड:-

- 1- इस बिड में फर्म का भाग एक, जिसमें यथा-निविदा दाता फर्म/प्रोपराइटर का नाम, पिता-पत्नी का नाम व पता, व्यापार कर, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, मोबाईल नम्बर, अर्नेस्ट मनी जमा करने मूल्य(एफ0ड0आर0/एन0एस0सी0) जो पुलिस अधीक्षक, चन्दौली के नाम से बन्धक के रूप में होगा, संलग्न किया जायेगा।
- 2- कनात, शौचालय एवं इस प्रकार के कार्य करने का विगत 03 वर्ष का अनुभव होने विषयक प्रमाण-पत्र।
- 3- पूर्व में पुलिस विभाग या किसी अन्य शासकीय विभाग में कार्य करने सम्बन्धी अभिलेख की प्रति।

(ख) फाइनेन्सियल बिड:-

सर्वप्रथम टैक्निकल बिड खोली जायेगी तथा उक्त बिड में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली फर्म की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। फाइनेन्सियल बिड में निविदा फार्म का भाग-2 पूर्ण रूपेण भरा जायेगा, जिसमें किराये पर लिए जाने वाली सामाग्री का मात्रा/अवधि के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

- 1- उपरोक्त समस्त आईटमों को आवश्यकतानुसार (समयावधि/सामाग्री) कम या ज्यादा किये जाने तथा उनके उपभोग अवधि को घटाये-बढ़ाये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। टेण्डर में अस्थायी बाथरूम (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) के लिए निविदा में अंकित दर घंटा के आधार पर निर्धारित न होकर बल्कि सम्पूर्ण अविध के लिए अंकित की जायेगी। शेष अन्य वस्तु/सामाग्री/मात्रा के सम्बन्ध में प्रति 24 घण्टे की दर से प्रति

- अदद की धनराशि का उल्लेख किया जायेगा, जिससे जितनी मात्रा में वस्तु/सामाग्री का जितनी अवधि तक उपयोग किया जायेगा, उसी के अनुसार धनराशि का किया जायेगा।
- 2- किसी भी निविदा को किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी फर्म व ठेकेदार को किसी भी न्यायलय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 3- निविदा के साथ प्रथम प्रयोजन हेतु रू0 90,000-00, द्वितीय प्रयोजन हेतु रू0 5,000/- एवं तृतीय प्रयोजन हेतु रू0 2,000/- अर्नेस्ट मनी(नकद) के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
- 4- जिस फर्म की निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी, उसे सही प्रकार से कार्य करने सम्बन्धी इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना होगा की चुनाव के अन्तिम समय तक यदि किसी सामाग्री की आवश्यकता होगी तथा उसे पहुँचाने हेतु निर्देशित किया जायेगा तो उसे तत्काल आपूर्ति करना होगा। उपरोक्त सामाग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों (जनपद के विभिन्न स्थानों जहाँ पर सम्बन्धित बल व्यवस्थापित होगा) पर की जायेगी तथा भण्डारण एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिस फर्म की निविदा स्वीकृत हुई हो, की होगी। किसी भी सामाग्री को लाने व ले जाने सम्बन्धी किराया-भाड़ा अलग से प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदाकर्ता के पास उपलब्ध सामान एवं सामाग्री के भण्डारण स्थल का निरीक्षण किये जाने का अधिकार पुलिस विभाग के पास होगा। निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिए जाने पर सामाग्री का भण्डारण जनपद में कहीं प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा।
- 6- निविदा में उल्लिखित सामाग्री के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता पड़ने पर अन्य सामानों की सम्पूर्ति भी सम्बन्धित फर्म को करनी पड़ेगी।
- 7- आपूर्ति की जाने वाले सामाग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामाग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामाग्री वापस कर दी जायेगी। तथा उसके स्थान पर निविदादाता फर्म/ठेकेदार को पुनः अच्छी गुणवत्ता की सामाग्री की आपूर्ति समयान्तर्गत करनी होगी।
- 8- निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में न्यूनतम निविदा के धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदाकर्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किये जाने वाले फर्म/व्यक्ति की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।
- 9- आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त यदि समय से आपूर्ति नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 10- निर्माण सम्बन्धी कार्यों में पानी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।
- 11- कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब आदि के लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होंगे।
- 12- निविदा स्वीकृत का कार्यादेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण निविदा कार्य/सम्पूर्ति आदि व्यवस्था पूर्ण कर लेगा। यह व्यवस्था फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने कर्मचारी/संसाधन के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक आदेशित फर्म/ठेकेदार द्वारा अपेक्षित व्यवस्था नहीं की जायेगी तो उस फर्म के ठेकेदार/फर्म की धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। तथा दूसरे फर्म तथा ठेकेदार को कार्यादेश निगम कर दिया जायेगा, साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 13- बिलों का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन /उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा नियत मानक के अन्तर्गत आवांटित अनुदान से किया जायेगा।

- 14- किसी प्रकार की सर्शत निविदायें नहीं की जायेगी, अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 15- स्वीकृत निविदादाता फर्म/ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा।
- 16- निर्धारित शर्तों को पालन न करने वाले ठेकेदार/फर्म का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
- 17- निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं क्वालिटी में अन्तर पाया जायेगा, तो किसी भी फर्म की निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतया सुरक्षित रहेगा।
- 18- लाउडस्पीकर व माईक व्यवस्था में भी पृथक से तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। इसी प्रकार जनरेटर में भी तार के लिए अलग से अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
- 19- अधोहस्ताक्षरी सबसे कम धनराशि वाले निविदा/अथवा किसी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र है, तथा निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- 20- विद्युत व्यवस्था में तार/होल्डर की कीमत भी बल्ब/हैलोजन के साथ सम्मिलित होगी।
- 21- जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के नोटिफिकेशन संख्या: 12/2017 सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 28.06.2017 में निहित प्राविधानों एवं के अनुरूप किया जायेगा।
- 22- अस्थाई बाथरूम (शौचालय/स्नानागार) के उपभोग के उपरान्त फर्म द्वारा किराये पर ली गयी सामाग्री वापस लेने के उपरान्त वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समतलीकरण आदि की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।

पत्र संख्या:च-01/2022

दिनांक: फरवरी 15, 2022

पुलिस अधीक्षक,
चन्दौली
15/2

द्वारा:-ई-मेल/फैक्स/क्यू-मेल

प्रतिलिपि:- कृपया निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, उ0प्र0, वाराणसी।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, उ0प्र0, वाराणसी।

प्रतिलिपि:- कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी जोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, चन्दौली को व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, चन्दौली।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चन्दौली।
- 6- अपर पुलिस अधीक्षक सदर/आपरेशन, चन्दौली।
- 7- समस्त क्षेत्राधिकारीगण जनपद चन्दौली।
- 8- चुनाव सेल, पुलिस विभाग चन्दौली।
- 9- प्रभारी मिडिया सेल, पुलिस कार्यालय, चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- प्रतिसार निरीक्षक/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चन्दौली को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 11- प्रधान लिपिक/आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- प्रभारी सी0सी0टी0एन0एस0 चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा को उ0प्र0 पुलिस एवं उ0प्र0 शासन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 13- दफ्तरी पुलिस कार्यालय चन्दौली को पुलिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।